प्रारुप–30.3

Name of Project :- Diversion of Forest Land for Widening and up gradation to 2 lane with configuration from Satpuli - Jwalpa - Srinagar (Km.-195.200.000 to 276.000) section NH-119 in Pauri Forest Division of Pauri District.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम —— नढ्डाड ——

तहसील–चौबट्टाखाल, जिला —— पौड़ी ——

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी —— के अन्तर्गत 195.200 से 276.000 तक NH-119 चिल्लाएं सड़क चौड़ीकरण की —— परियोजना के निर्माण हेतु (4.367 —— है0 .92 सहमत आरक्षित वन भूमि, 20.115 है0 सिविल सोयम भूमि 0.151 है0,वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल —— 32.553 है0 वन भूमि का —— लो० नि० वि० श्रीनगर —— विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत —— नढ्डाड —— द्वारा दिनांक —— 7/4/2016 —— को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पाटीसैंण, रौतास, नढ्डाड —— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि —— लो० नि० वि० श्रीनगर —— प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 (signature)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव नढ्डाड
विकासखण्ड —— जयहरीखाल
पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड

(signature)
अनिता नेगी
कनिष्ठ प्रमुख एकेश्वर
ग्राम–तछवाड़ पो0–पाटीसैंण
पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

ह0 (signature, stamp: प्रधान ग्राम पंचायत नढ्डाड)
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारूप - 30.3

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=000 सतपुली – ज्वालपा – श्रीनगर दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम........डांग........

तहसील......पौड़ी.......जिला.....पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद......पौड़ी गढ़वाल.......के अन्तर्गत 195=200 से 276=000 किलोमीटर तक NH–119 सड़क चौड़ीकरण की परियोजना के निर्माण हेतु (4.367....हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115....हे0 सिविल सोयम भूमि..........हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राजस्व वन.........विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

7.42 हेक्टर विस्तार

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....डांग........द्वारा दिनांक 31/12/2016 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम....डांग..........के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग (लो0नि0वि0) श्रीनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सहित....डांग.......
वि0ख0....क0 एकेश्वर गढ़वाल

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0
ग्राम पंचायत
वि0 ख0–कल्जीखाल

प्रारूप - 30.2

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195-20 से 276.000 सतपुली–कालपा–श्रीनगर दो लेन सडक चौडी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम......विष्णु बुंगा.........

तहसील......पौडी..........जिला......पौडी (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद......पौडी–गढ़वाल......के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर परियोजना के निर्माण हेतु (4.367......हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115......हे0 सिविल सोयम भूमि......

7.92 मलवा निस्तारक

............हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राजस्व वन ....विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत......विष्णु बुंगा......द्वारा दिनांक 31/12/2016 को सम्पन्न ग्राम / सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......नौली, हरीजीजगा नौली......के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो.नि.वि. श्रीनगर ...... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत......(विष्णु बुंगा)
वि0ख0. कोट पौडी गढ़वाल

ह0 / –
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195.200 से 276.200 सतपुली–ज्वालपा–श्रीनगर दो लेन सडक चौडी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम......नौगाँव......

तहसील......पौडी......जिला......पौडी गढ़वाल......

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड मे जनपद ......पौडी गढ़वाल...... के अन्तर्गत......195.200 से 276.200 सतपुली–ज्वालपा–श्रीनगर तक NH–119 की चौडीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (4.365 है0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 है0 सिविल सोयम भूमि...... 7.92 मलवा निस्तारण......है0, वन पंचायत भूमि 0.151 है0) अर्थात कुल 32.553 है0 वन भूमि का......लोक निर्माण विभाग......विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम पंचायत......नौगाँव...... द्वारा दिनांक 02/11/2018 सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध मे अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थिति सभी ग्राम्वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौगाँव ज्वालपा सेरा, कोठा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि......राष्ट्रीय राजमार्ग 119 लोनिवि श्रीनगर...... प्रयोकता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एव सही है।

ह0/–
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सहित 2.11.18
वि0ख0 ....पौडी गढ़वाल

(मुहर: प्रधान ग्राम सभा नौगाँव, पौडी गढ़वाल)
ग्राम प्रधान/पदेन अध्यक्ष
मुहर सहित

प्रारूप- 30.3

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195.200 से 276.200 सतपुली-ज्वालपा-श्रीनगर दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम...... चिण्डालू ......

तहसील...... पौड़ी ......,जिला...... पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद...... पौड़ी गढ़वाल ......के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर परियोजना के निर्माण हेतु (4.367.....हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115......हे0 सिविल सोयम भूमि...... 7.42 नाप भूमि विस्तारित ......हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि का...... राजस्व वन ......विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत...... चिण्डालू ......द्वारा दिनांक 30/12/2016 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...... चिण्डालू, नौडियालगांव ......के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि...... राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोनिवि श्रीनगर ......प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चिण्डालू
वि0ख0. क. [illegible] गढ़वाल

प्रधान ग्राम पंचायत चिण्डालू
ह0 [illegible]

ह0/—
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुली-श्रीनगर) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डुंग-सेठाणा

तहसील चौबट्टाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत NH-119(534) सतपुली से श्रीनगर परियोजना के निर्माण हेतु (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि 7.092 नजूल निमित्त हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.653 हे0 वन भूमि का राष्ट्रीय रा.म. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुंग-सेठाणा द्वारा दिनांक 02/03/2017 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डुंग-सेठाणा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी
मुहर सहित ग्राम पंचायत डुंग-सेठाणा
विकास खण्ड
जनपद पौड़ी

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित 2/3/2017

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0195-200 से 276-00 सतपुली – ज्वालपा – श्रीनगर दो लेन सडक चौडी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम....अणेथ....

तहसील....पौड़ी.... ,जिला....पौड़ी गढ़वाल....

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद....पौड़ी गढ़वाल.... के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर परियोजना के निर्माण हेतु (4.267....हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115....हे0 सिविल सोयम भूमि....7.12 मध्यम निजारह....हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि का....रा0मा0 ख0 ....विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत....अणेथ.... द्वारा दिनांक 01/01/2017 को सम्पन्न ग्राम/राज्य पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम....कौला.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि....राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोनिवि श्रीनगर.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मुहर सहित.... 31.01.17....
वि0ख0 .... गढ़वाल

ह0/
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195.200 से 276.000
सतपुली-ज्वालपा-श्रीनगर दो लेन सड़क चौड़ीकरण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पीपली

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर परियोजना के निर्माण हेतु (4.264 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि .92 नाप भूमि मिनरल हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राजस्व वन ......विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पीपली ...... द्वारा दिनांक 30/12/2016 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पीपली/सगरौ/खुर्द कण्डुलल्ला, डांग, डोभियो/बल्ली, पल्ली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पी. पली
मुहर सहित
वि0ख0 क0 ... पौड़ी गढ़वाल

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 195.200 से 276.200 सतपुली–ल्वाली–श्रीनगर दो लेन सडक चौडी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम....अगरोड़ा....

तहसील....पौड़ी....जिला....पौड़ी गढ़वाल....

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद....पौड़ी गढ़वाल....के अन्तर्गत....195.200 से 276.200 km तक NH-119 सड़क चौड़ीकरण की परियोजना के निर्माण हेतु (4.267....हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115....हे० सिविल सोयम भूमि....7.42 नाप भूमि निजी....हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात कुल 32.553 हे० वन भूमि का....राजस्व वन....विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत....अगरोड़ा....द्वारा दिनांक....3/12/2016....को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध मे अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम....आपँल्यू, लग्गा डाँग, मरोड़ा, कोडली....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि....राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० श्रीनगर....प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव 3/12/16
ग्राम पंचायत मुहर सहित
वि०ख०....पौड़ी/कल्जीखाल

पार्वती देवी
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 275+00 (सतपुली–श्रीनगर) दो लेन सडक चौडी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम........ रडूली

तहसील..... पौडी ....जिला..... पौडी

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड मे जनपद ..... पौडी ......के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर परियोजना के निर्माण हेतु (4.264......हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115......हे0 सिविल सोयम भूमि 7.92 नाप्ता निस्तारण ....हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि का..... राजस्व वन ......विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत..... रडूली ....द्वारा दिनांक 19.3.17 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...... रडूली ....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / (हस्ताक्षर)
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम सचिव पौडी
मुहर सहित

ह0 /
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित
कमला देवी

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 1.96+00 से 2.76+00 (सतपुली–श्रीनगर) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम....श्रीकोट खण्डाह....

तहसील....श्रीनगर....,जिला....पौड़ी गढ़वाल....

<u>अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद....पौड़ी गढ़वाल....के अन्तर्गत.............. परियोजना के निर्माण हेतु (4.360....हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115....हे0 सिविल सोयम भूमि...... 7.92 भवन निर्माण क....हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि का....राजस्व वन.... ....विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत....श्रीकोट खण्डाह....द्वारा दिनांक 2/8/17 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम....श्रीकोट खण्डाह....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, घुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत श्रीकोट खण्डाह
पौड़ी गढ़वाल

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत श्रीकोट खण्डाह
वि० ख० खिर्सू, पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=00 सतपुली—ज्वालपा—श्रीनगर दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम थापली (कफोलस्यूं)

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण—पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 195=200 से 276=00 सतपुली—ज्वालपा—श्रीनगर तक NH-119 रा0उ0 लो0नि0वि0 की परियोजना के निर्माण हेतु (4.767 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि 7.42 नाप भूमि हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राजस्व वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थापली (कफोलस्यूं) द्वारा दिनांक 31/12/2016 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थापली, चौंडी, जखेटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मुहर सहित
ग्राम पंचायत ...
वि0ख0 क0को0 (पौ0) गढ़वाल

ह0/—
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=00 सतपुली — ज्वालपा- श्रीनगर दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम छवीली बिष्ट

तहसील पौड़ी **,जिला** पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण—पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 195=200 से 276=00 सतपुली ज्वालपा- श्रीनगर तक NH 119 चौड़ीकरण की परियोजना के निर्माण हेतु (4.264 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि 7.92 नाप भूमि निजी हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राजस्व वन विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत छवीली बिष्ट द्वारा दिनांक 01/01/2017 को सम्पन्न ग्राम / सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सरकआण पल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण वि0 श्रीनगर, चुनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत छवीली बिष्ट
वि0ख0 कल्जीखाल गढ़वाल

प्रधान ग्राम पंचायत छवीली बिष्ट

ह0/—
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित
प्र0ग्रा0पं0 छवीली बिष्ट
वि0ख0 कल्जीखाल

उप०प्र० - ग्रि० रेवड़ी

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 1.96+00 से 27.6+00 (सतपुली-श्रीनगर) दो लेन सडक चौड़ीकरण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ग्रि० रेवड़ी

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर परियोजना के निर्माण हेतु (4.267 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि 7.912 मदला किलकिलेश्वर हे0, वन पचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.583 हे0 वन भूमि का राजस्व वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रेवड़ी तल्ली द्वारा दिनांक 14/3/17 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रेवड़ी तल्ली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित
(एन० सी० चौहान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल)

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित मतेश्वरी देवी
(ग्राम पंचायत रिकवी, वि० ख० पौड़ी)

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=00 सतपुली — ल्वालपा - श्रीनगर दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम......तोली......

तहसील....पौड़ी......., जिला....पौड़ी गढ़वाल....

अनापत्ति प्रमाण—पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद....पौड़ी गढ़वाल.... के अन्तर्गत 195=200 से 276=00 सतपुली - ल्वालपा - श्रीनगर तक NH119 रा0 चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (4.367....हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115.....हे0 सिविल सोयम भूमि...... 7.92 सिविल ....हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.553 हे0 वन भूमि का....राजस्व वन ....विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत....तोली.... द्वारा दिनांक 02/01/2017 को सम्पन्न ग्राम / सभा पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तोली, दांगिखा वल्ला, दांगिखा पल्ला ....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोनिवि श्रीनगर, श्रीकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ [signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मुहर सहित
ग्राम पंचायत....तोली........
वि0ख0. कल्जीखाल पौढ़वाल

[stamp: प्रधान ग्राम सभा तोली पट्टी ... कल्जीखाल ... पौड़ी गढ़वाल]
ह0 रामकुमार
दिनांक..............
ह0/
ग्राम प्रधान / सचिव
मुहर सहित

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 136+00 से 276+00 (सतपुली – श्रीनगर) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.. [illegible]

तहसील......पौड़ी............,जिला......पौड़ी [illegible]......

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद......पौड़ी......के अन्तर्गत NH 119 (सतपुली से श्रीनगर) परियोजना के निर्माण हेतु (4.367......हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115......हे0 सिविल सोयम भूमि...... 742 [illegible] ......हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात कुल 32.383 हे0 वन भूमि का राजस्व 97 ......विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत...... [illegible] ......द्वारा दिनांक 18/4/16 को सम्पन्न ग्राम / सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...... [illegible] ......के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / [signature]
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0 / —
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत
[illegible]
विकासखण्ड [illegible]
तहसील चौबट्टाखाल

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के किमी० 196+00 से 276+00 (सतपुली–श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ीकरण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम........ कसेड़ा (पैडुलस्यूँ)

तहसील........ पौड़ी .... जिला........ पौड़ी ....

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद........ पौड़ी .... के अन्तर्गत NH-119 (534) सतपुली से श्रीनगर परियोजना के निर्माण हेतु (4.026 ...... हे० आरक्षित वन भूमि, 20.135 ...... हे० सिविल सोयमभूमि .... हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात कुल .... हे० वन भूमि का .... लो.नि.वि. .... विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत........ कसेड़ा .... द्वारा दिनांक 26/02/17 को सम्पन्न ग्राम / सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम........ .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि .... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / –
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह० / –
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 196+00 से 276+00 (सतपुली–श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ीकरण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम........ [illegible] कोटी ....

तहसील ..... पौड़ी ..... जिला ..... पौड़ी .....

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ...... पौड़ी ...... के अन्तर्गत NH-119 (534) सतपुली से श्रीनगर परियोजना के निर्माण हेतु (41.3654 ...हे० आरक्षित वन भूमि 20.115 ....हे० सिविल सोयम भूमि....... [illegible] ....हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात कुल 32.653 हे० वन भूमि का ..... [illegible] ....विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...... [illegible] कोटी ...... द्वारा दिनांक 19/01/17 ...को सम्पन्न ग्राम / सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम [illegible] तल्ली, रेवड़ी तल्ली ...के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / –
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत... [illegible] कोटी
विकास खण्ड..... पौड़ी

ह० / –
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 1[illegible]+00 से 2[illegible]+00 [illegible] दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.........[illegible] अमराल्

तहसील.........पौड़ी.........जिला.........पौड़ी (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.........पौड़ी.........के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर परियोजना के निर्माण हेतु (4.364.........हे० आरक्षित वन भूमि 20.115.........हे० सिविल सोयम भूमि 7.12 [illegible] हे० वन पंचायत भूमि0.151 हे०) अर्थात कुल [illegible] हे० वन भूमि का.........राजस्व वन.........विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के क्रम में ग्राम प्रधान.........अमराज.........द्वारा दिनांक 08/01/17 को सम्पन्न ग्राम/खुली पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम [illegible] [illegible] गाँव.........के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[signature]
[illegible] अधिकारी
ग्राम्य/ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
वि०ख०.........पौड़ी

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] वि०ख० पौड़ी

ह०/–
ग्राम प्रधान/सरपंच अमराज
मुहर सहित

प्रारुप–30.3

Name of Project :- Diversion of Forest Land for Widening and up gradation to 2 lane with configuration from Satpuli - Jwalpa - Srinagar (Km.-195.200.000 to 276.000) section NH-119 in Pauri Forest Division of Pauri District.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — रौखड़ी / डोबल

तहसील — सतपुली, जिला — पौड़ी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद — पौड़ी — के अन्तर्गत — NH-119 के कि0 मी0 195 से 276 तक उच्चीकरण — की — परियोजना के निर्माण हेतु (— हे0 आरक्षित वन भूमि 1.317 — हे0 सिविल सोयम भूमि — हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल — 1.317 — हे0 वन भूमि का — लोक निर्माण विभाग श्रीनगर — विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत — रौखड़ी / डोबल — द्वारा दिनांक 07/09/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रौखड़ी, केसरपुर, कटर, डोबल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–

ग्राम सचिव

मुहर सहित

ह0/–

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

ग्राम सभा डोबल

ह0 मीना देवी

दि0 07.09.2016

परियोजना का नाम :— राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 133+00 से 136+00 (कोटद्वार–सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ीकरण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम् 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम........पैडुल..........

तहसील........पौड़ी.........जिला.......पौड़ी (उत्तराखण्ड)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद........पौड़ी.............. के अन्तर्गत.............................. परियोजना के निर्माण हेतु (4.364 है0 आरक्षित वन भूमि, 20.125 है0 सिविल सोयम भूमि 7.42 भवन्ना/बेनाप 3 है0 वन पंचायत भूमि0 .151 है0) अर्थात कुल 32.583 है0 वन भूमि का [illegible]............ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत........पैडुल................द्वारा दिनांक 08/01/17 को सम्पन्न ग्राम/वन पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम........पैडुल....................के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि.............................. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी, पैडुल)
मुहर सहित (पौड़ी)

ह0/–
ग्राम प्रधान (प्रधान ग्राम पंचायत पैडुल, [illegible], वि0 खण्ड पौड़ी, जनपद गढ़वाल)
मुहर सहित